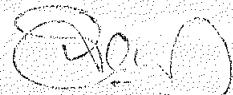


“यदि किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में यह पाया जाता है कि वह भर्ती नियमों इत्यादि के अनुसार सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए योग्य नहीं था अथवा उसने नौकरी पाने के लिए गलत सूचना दी थी या गलत प्रमाणपत्र दिया था तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह एक परिवीक्षाधीन अथवा अस्थायी सरकारी कर्मचारी है तो उसे कार्यमुक्त कर देना चाहिए अथवा उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति स्थायी सरकारी कर्मचारी बन गया है तो उसके खिलाफ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के नियम 14 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार जाँच की जानी चाहिए और यदि उस पर लगे आरोप साबित होते हैं तो उसे सेवा से हटा देना चाहिए या बरखास्त कर देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति पर इसके अतिरिक्त कोई और शास्ति नहीं लगाई जानी चाहिए।”

4. उपर्युक्त अनुदेशों को सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से बल मिलता है कि यदि आरक्षण प्रसुविधाएँ ऐसे व्यक्तियों द्वारा हथिया ली जाती हैं जो इनके पात्र नहीं हैं तो इन प्रसुविधाओं के वास्तविक हकदार इनसे वंचित रह जाएंगे और वे सतत नुकसान उठाते रहेंगे। आरक्षित श्रेणियों से संबंध न रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश अथवा नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ देना संविधान के आरक्षण प्रावधान के अधिदेश और योजना का उपहास करना होगा।

5. इस कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधितों की जानकारी में ला दिया जाए।



(के.जी. वर्मा)

निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग और सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली।
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
6. रेलवे बोर्ड।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।